मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018

प्रेक्षक प्रशिक्षण

10 मई 2018

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018 में वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में प्रचलित सतत् पुनरीक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये है

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018

संशोधित प्रक्रिया सम्बंधी परिपत्र

क्रमांक	परिपत्र क्रमांक	विषय
1.	एफ–52–एनएन–01/2018/पांच/239 **दिनांक 16/03/2018**	नगरपालिका की मतदाता सूची के पुनरीक्षण की संशोधित प्रक्रिया.
2.	एफ–35–पीएन–02/2018/तीन/196 **दिनांक 16/03/2018**	पंचायत की मतदाता सूची के पुनरीक्षण की संशोधित प्रक्रिया.
3.	एफ–52–एनएन–01/2018/पांच/248 **दिनांक 02/04/2018**	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में निर्देश
4.	एफ–52–एनएन–01/2018/पांच/286 **दिनांक 07/05/2018**	ERMS में डाटा एन्ट्री करने की संशोधित प्रक्रिया.

बदलाव के कारण

वर्ष 2017 – वार्षिक पुनरीक्षण

नगरपालिका

क्रमांक	क्षेत्र	संख्या	जहाँ परिवर्धन शून्य है	जहाँ विलोपन शून्य है	जहाँ परिवर्धन और विलोपन दोनों शून्य है
1.	नगर पालिका	378	72	69	51
2.	मतदान केन्द्र	17687	13615	12775	11013

वर्ष 2017 – वार्षिक पुनरीक्षण

पंचायत

क्रमांक	क्षेत्र	संख्या	जहाँ परिवर्धन शून्य है	जहाँ विलोपन शून्य है	जहाँ परिवर्धन और विलोपन दोनों शून्य है
1.	जनपद पंचायत	313	51	63	42
2.	ग्राम पंचायत	22846	16243	15066	12084

प्रेक्षक रिपोर्ट के तथ्य

- दावे आपत्ति केन्द्रों का नहीं खुलना.
- दावे आपत्ति केन्द्रों पर बैनर नहीं लगना.
- दावे आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी का अनुपस्थित होना.
- प्राधिकृत कर्मचारी का प्रशिक्षण नहीं होना.
- दावे आपत्ति केन्द्रों के पर्यवेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं.
- प्राधिकृत कर्मचारी के पास पुनरीक्षण से सम्बंधित सामग्री नहीं होना.

मतदाता सूची की शिकायतों के सम्बंध में की गई जाँचों में पाये गये तथ्य

- कलेक्टर के पासवर्ड का उपयोग वेण्डर ऑपरेटर द्वारा.
- रजिस्ट्रीकरण और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग वेण्डर ऑपरेटर द्वारा.
- प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची का प्रिन्ट समय पर नहीं किया जा रहा.
- प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा असत्य प्रमाणपत्र.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत

नरवर (शिवपुरी)

वर्ष 2009 के परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची बना ली गई, जबकि वर्ष 2014 में नया परिसीमन हो चुका था.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत

सेंधवा (बड़वानी)

- वर्ष 2018 में, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 250 व्यक्तियों के नाम वर्ष 2017 की मतदाता सूची में जोड़ दिये गये.
- वार्ड क्रमांक–6 में रहने वाले व्यक्तियों के नाम वार्ड क्रमांक–3 की मतदाता सूची में जोड़ दिये गये.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत

ओंकारेश्वर (खण्डवा), सिमरिया (रीवा)

विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम शिफ्ट करने से छोड़ दिये गये.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत

रामपुरियाखुर्द (इन्दौर)

लगभग 201 बाहरी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिये गये. अपील में अपर कलेक्टर ने नाम हटाने के आदेश दिये. इसके बाद भी 76 नामों को हटाये बगैर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत

सिंगरौली

- 9 ग्राम पंचायतों में लगभग 800 मतदाताओं के नाम रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के DSC का गलत उपयोग कर जोड़ दिये गये.
- प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का गलत पंचनामा जारी किया गया.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत
अटेर (भिण्ड)

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने से वंचित करने के लिये फर्जी शिकायत के आधार पर मतदाता सूची से जान बूझकर नाम विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया.
- शिकायत की जाँच लगभग ढाई वर्ष तक लंबित रखी गई.
- आयोग द्वारा जाँच हेतु प्रेक्षक भेजे जाने के बाद अनियमितता प्रकाश में आई.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत
उमरिया

- बी.एल.ओ. द्वारा बिना किसी आधार के सरपंच पद से लड़ने के लिये रोकने के उद्‌देश्य से मतदाता सूची से नाम काट दिया गया.
- शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई.
- आयोग द्वारा जाँच हेतु प्रेक्षक भेजे जाने के बाद अनियमितता प्रकाश में आई.

मतदाता सूची पुनरीक्षण में की गई गलतियों के दृष्टांत

नरसिंहगढ़ (राजगढ़)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संवीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व अभ्यर्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि को आधार बनाकर मतदाता सूची से हटाया गया और उसके बाद अभ्यर्थी का नामनिर्देशन निरस्त कर दिया गया.

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018
संशोधित प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु

प्राधिकृत कर्मचारी की सुविधा	दावे आपत्ति के लिए नवीन प्ररूप (ER-1, ER-2, ER-3 एवं ER-4) तथा बी.एल.ओ. बुकलेट.
परिसीमन सम्बंधी गलतियों को समाप्त करने के लिए	कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन डिजिटल हस्ताक्षर से अनिवार्य.

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018

संशोधित प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु

मतदाताओं के नाम शिफ्टिंग से छोड़े जाने की गलती के सुधार के लिए	विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की शत्प्रतिशत मार्किंग अनिवार्य, अन्यथा प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी.
मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए	फोटो रहित प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन वेबसाईट पर अनिवार्य.

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018
संशोधित प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु

नगरपालिका वार्ड एवं ग्राम पंचायत में मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन की पारदर्शी व्यवस्था के लिए	प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किये जाने का प्रमाणपत्र स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य.
कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की सुविधा के लिए	ऑनलाईन मॉनिटरिंग के लिये डेशबोर्ड.

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018
संशोधित प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु

दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों की प्रविष्टि और निराकरण की अनियमितताओं को दूर करने के लिए	• डाटा एन्ट्री की प्रक्रिया में वेण्डर की भूमिका समाप्त. • दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में किये जाने की व्यवस्था.
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सुविधा के लिए	मल्टीपल आवेदन पत्रों का एक साथ निराकरण करने के लिए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन.

संशोधित प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व

- मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण.
- **कंट्रोल टेबल** का अपडेशन और वेरिफिकेशन.
- विधानसभा में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में जोड़ने के लिए **शिफ्टिंग सूची** की मार्किंग.
- विधानसभा से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत से हटाने के लिए **विलोपन वेरिफिकेशन सूची** की मार्किंग.
- विधानसभा में संशोधित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में संशोधन करने के लिए **संशोधित वेरिफिकेशन सूची** की मार्किंग.

कंट्रोल टेबल

कंट्रोल टेबल में निर्वाचन क्षेत्र (नगरपालिका / ग्राम पंचायत) से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारियाँ होती है :—

नगरपालिका :—

- वार्ड.
- पार्ट.
- मतदान केन्द्र.
- मतदाताओं की संख्या.

पंचायत :—

- वार्ड एवं ग्राम.
- मतदान केन्द्र.
- मतदाताओं की संख्या.

Control Table Checklist of Urban Bodies

09/05/2018

जिले का नाम : हरदा **नगर पालिका परिषद का नाम : हरदा**

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	भाग क्र.	मतदान केन्द्र क्र व नाम	मोहल्ला क्र.	मोहल्ले का नाम	कुल मतदाता
1	जयप्रकाश नारायण वार्ड	1	1 - वनमंडलाधिकारी कार्यालय सामान्य उत्तरी खंड	1	पानी की टंकी क्षेत्र	900
		2	2 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक शाला पश्चिमि खंड कक्ष क्रमांक 1	1	गोलापुरा	759
2	चंद्रशेखर आजाद वार्ड हरदा	1	3 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 01	1	नई आबादी बेलदार चौक	1037
		2	4 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 02	1	मांग मोहल्ला कहारवाडी गौर कालोनी	1053
3	मोहनदास करमचंद गांधी वार्ड हरदा	1	5 - खेडीपुरा प्राथ. शाला नवनिर्मित कक्ष	1	बेलदार मोहल्ला रोड क्षेत्र	757
		2	6 - आंगन बाडी केन्द्र 12 खेडीपुरा	1	गाडरी मंदिर क्षेत्र	574
4	हनुमान वार्ड	1	7 - खेडीपुरा मा. शाला क. न. 01	1	जोशी मोहल्ला एवं खेडापति मंदिर क्षेत्र	1193
5	नरसिह वार्ड हरदा	1	8 - नगरपालिका कार्या. राजस्व हाल उत्तरीय खंड	1	बाजार क्षेत्र	825
6	शहीद भगतसिंह वार्ड	1	9 - नगरपालिका कार्या.राजस्व हाल दक्षिणी खंड	1	जैन मंदिर क्षेत्र	886
7	राधा कृष्णन वार्ड हरदा	1	10 - केन्द्रीय विघालय पूर्वी खंड क्रं . 1	1	शीतला माता मंदिर क्षेत्र एवं गजांनद मंदिर क्षेत्र	753
8	बाबू जगजीवनराम वार्ड हरदा	1	11 - शा. कला एवं महाविद्यालय हाल कमरा नं.1	1	खेडीपुरा मजिस्द के पास बेलदार मोहल्ला	701
		2	12 - शा. कला एवं महाविद्यालय कमरा नं.2	1	कसेरा मोहल्ला गोलापुरा के पास गोसाई मंदिर	608
9	छत्रपति शिवाजी वार्ड	1	13 - नगरपालिका कार्या. योजना शाखा हाल	1	शिवाजी चौक क्षेत्र	823

Control Table Checklist of Rural Bodies

09/05/2018

जिले का नाम : **हरदा** विकासखण्ड का नाम : **हरदा**

पंचायत क्र.	पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र का नाम	कुल मतदाता	वार्ड नं.	गांव का नाम
1	सोनखेडी					
		1	शासकीय प्रा.शाला भवन सोनखेडी	566		
					1	सोनखेडी
					2	सोनखेडी
					3	सोनखेडी
					4	सोनखेडी
					5	सोनखेडी
					6	सोनखेडी
					7	सोनखेडी
		2	शासकीय प्रा.शाला भवन कक्ष क्र.1 भुवनखेडी	472		
					8	भुवनखेडी
					9	भुवनखेडी
					10	भुवनखेडी
					11	भुवनखेडी
					12	भुवनखेडी
		3	शासकीय मा.शाला भवन भुवनखेडी	450		
					13	भुवनखेडी
					14	भुवनखेडी
					15	भुवनखेडी
					16	भुवनखेडी
					17	भुवनखेडी
2	डगॉवनीमा					
		4	शासकीय प्रा.शाला भवन डगावांनीमा	729		
					1	डगॉवनीमा
					2	डगॉवनीमा
					3	डगॉवनीमा
					4	डगॉवनीमा
					5	डगॉवनीमा
					6	डगॉवनीमा
					7	डगॉवनीमा
					8	डगॉवनीमा
		5	शासकीय प्रा.शाला भवन जिजगांव कलां	359		
					9	जिजगांव कलां
					10	जिजगांव कलां
					11	जिजगांव कलां
					12	जिजगांव कलां

कंट्रोल टेबल के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ

नगरपालिका

- वार्ड/पार्ट की जाँच करना. आवश्यकतानुसार सुधार.
- नवीन वार्ड/पार्ट जोड़ना. नये क्षेत्रों के लिए मतदाताओं को Import करना.

पंचायत

- पंचायत/वार्ड की जाँच करना. आवश्यकतानुसार सुधार.
- अपवर्जित पंचायतों/वार्डों को हटाना और मतदाताओं को डिलिट करना.

- **नवीन मतदान केन्द्र जोड़ना.**
- **मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करना.**
- **कंट्रोल टेबल को अपडेट कर डिजिटल साईन से वेरिफाई करना.**

कंट्रोल टेबल
अपडेशन और वेरिफिकेशन की त्रुटियाँ

- शून्य मतदाता संख्या वाली पंचायतों का शामिल होना.
- नगरपालिका क्षेत्र में शामिल हो चुकी पंचायतों/वार्डों का अभी भी पंचायत क्षेत्र में नाम होना.
- पंचायतों के नामों में गलतियाँ.
- वार्ड और पार्ट का व्यवस्थित निर्धारण नहीं होना.
- 02 या अधिक वार्ड/पार्ट/पंचायत के लिए एक मतदान केन्द्र.
- वार्ड/पार्ट/पंचायत के लिए मतदान केन्द्र नियत नहीं होना.
- मतदान केन्द्र में 1200(नपा)/750(पंचा.) से अधिक मतदाता होना.
- ऐसे मतदान केन्द्र शामिल होना जिनके लिए कोई मतदाता ही मार्क नहीं है.

मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण

- कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट निकालकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपना – **06 अप्रैल 2018**
- मुख्य नगरपालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कंट्रोल टेबल का परीक्षण कर मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में प्रस्ताव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करना – **11 अप्रैल 2018**
- मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर कंट्रोल टेबल में अपडेट करना – **17 अप्रैल 2018**

मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की त्रुटियाँ

- कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट CEO और CMO को प्रदाय नहीं करना.
- CEO एवं CMO द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना.
- CEO एवं CMO द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में बिना विचार किये यथास्थिति प्रस्ताव भेजना.

शिफ्टिंग सूची

- विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग हेतु.
- विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार.
- **नपा** – नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर की मार्किंग के लिए रिक्त स्थान (खाना).
- **पंचायत** – पंचायत का नाम, पंचायत का क्रमांक और वार्ड नम्बर की मार्किंग के लिए रिक्त स्थान (खाना).

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा   भाग संख्या : 1   शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

अनुभाग : 1-साल्याखेड़ी , ग्राम-साल्याखेड़ी , 461331

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर / पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या / वार्ड नंबर	मोहल्ला क्र.
83	5	गोपाल भावरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875					
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बुद्या	F	23	WMQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बुध्दा	M	19	WMQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	WMQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	WMQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556	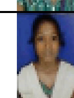				
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069					
439	48	संगीता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077					
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627	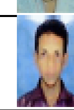				

Activate
Go to Sett

शिफ्टिंग सूची

- शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा.
- शिफ्टिंग सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी.
- शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित ख़ाने में मार्किंग होना जरूरी है. यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी.

शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

- यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा.
- यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा.
- इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरपालिक निगम क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते है. इन क्षेत्रों में भी शिफ्टिंग के विवाद सम्बंधी मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा.

विलोपन वेरिफिकेशन सूची

- विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं की जानकारी है और यह भी जानकारी अंकित है कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका/पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है.
- सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है.

Click on Tools to convert files to PDF.

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 2 , भाग संख्या : 2

विधानसभा में विवरण			नगरीय निकाय में विवरण						
निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम लिंग आयु विलोपन का कारण	फोटो	मतदाता क्र. ईपिक संख्या	निर्वाचक का नाम	लिंग	पिता/पति का नाम आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√/X)
शेखअब्दुलसत्तार BYS4566154	पिता शेखखुन्नु M 63 Expired		120 BYS4566154	शेखअब्दुलसत्तार	M	पिता शेखखुन्नु 62	93		

कुल संख्या :	1

विलोपन वेरिफिकेशन सूची

- विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका/पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा.
- यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा.

विलोपन वेरिफिकेशन सूची

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से नगरपालिका की मतदाता सूची से हटाया जायेगा. विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है. ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे.

संशोधन वेरिफिकेशन सूची

- संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी है और यह भी जानकारी अंकित है कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका/पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है.
- सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है.

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी

नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1

विधानसभा में विवरण					नगरीय निकाय में विवरण						
निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो	मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√ / X)
अंगूरी MP/28/227/042086	पति बद्रीप्रसाद F	49		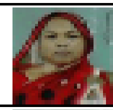	84 अंगूरी MP/28/227/042086	पति बद्रीप्रसाद F	48	14	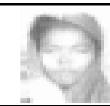	☐
विमला MP/28/227/042087	पति मनोरीलाल F	56		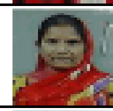	87 विमला MP/28/227/042087	पति मनोरीलाल F	55	16		☐
सावित्री MP/28/227/042268	पति विजय F	49		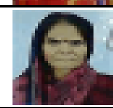	93 सावित्री MP/28/227/042268	पति विजय F	48	17	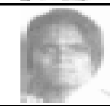	☐
सत्यनारायण MP/28/227/042137	पिता भीकू M	56		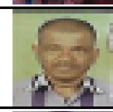	292 सत्यनारायण MP/28/227/042137	पिता भीकू M	55	71		☐
प्रभा MP/28/227/042338	पति बालाराम F	51		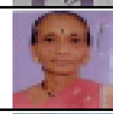	498 प्रभा MP/28/227/042338	पति बालाराम F	50	125	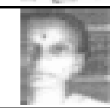	☐
अशोक BYS4680369	पिता मुख्तयार M	51		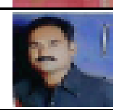	581 अशोक BYS4680369	पिता मुख्तयार M	50	146		☐
चंद्रावती BYS4680344	पति अशोक F	46		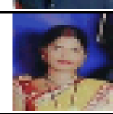	582 चंद्रावती BYS4680344	पति अशोक F	45	146	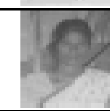	☐
अरविन्द WMQ0789255	पिता तुलसीराम M	22			624 अरविन्द WMQ0789255	पिता तुलसीराम M	21	150द	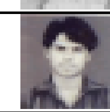	☐
जगदीश BYS4660791	पिता किसन M	49		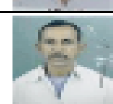	733 जगदीश BYS4660791	पिता किसन M	48	177	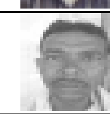	☐
पार्वती BYS4457354	पति जगदीश F	44		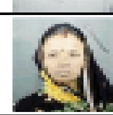	734 पार्वती BYS4457354	पति जगदीश F	43	177		☐

कुल संख्या :	10

संशोधन वेरिफिकेशन सूची

- विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका/पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा.
- यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका/पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा.

प्रारूप मतदाता सूची

- शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट की जायेगी.
- यदि शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं करेगा.
- ERMS से दो प्रकार की प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होगी :–

1. फोटो रहित मतदाता सूची.
2. फोटोयुक्त मतदाता सूची.

प्रारूप मतदाता सूची

- फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी.
- फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–4(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा.
- प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्केन कर अपलोड करेंगे.

स्टेडिंग कमेटी की बैठक

- प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये.
- जिला स्तर पर कलेक्टर और नगरपालिका/जनपद पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये.
- बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये.

संशोधित प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात्

- **जाँच सूची** के आधार पर ऐसे मतदाताओं की गहन जाँच जिनके नाम नगरपालिका अथवा पंचायत की मतदाता सूची में तो दर्ज है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है.
- **डुप्लिकेट सूची** के आधार पर ऐसे मतदाताओं की जाँच जिनके नाम जिले में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है.
- **दावे आपत्ति** ERMS **में दर्ज करने की नवीन प्रक्रिया.**

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना

- दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे.
- दावा आपत्ति सम्बंधी नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) मय मार्गदर्शिका BLO Booklet के साथ जारी किये है.
- यदि पूर्व प्रचलित प्ररूपों क, ख, ग और घ को भी इस वर्ष विचारण में लिया जायेगा.
- प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के साथ 02 सूचियाँ **जाँच सूची** और **डुप्लिकेट सूची** भी जेनरेट की जायेंगी.

जाँच सूची

- **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम नगरपालिका की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है.
- जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी.
- दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ–साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके.

ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम नगरीय निकाय की अद्यतन मतदाता सूची में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

जांच सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | **जिला : हरदा** | **वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1**

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-पानी की टंकी क्षेत्र							
85	15	लखन	पिता सरजा	M	45	MP/28/227/042301	
86	16	मनोरीलाल	पिता सरजा	M	60	MP/28/227/042302	
161	43	सुशील	पिता सुरेश	M	37	BYS4618039	
162	43	मालती	पति सुशील	F	34	BYS4457131	
246	60	बसुबाई	पति रामप्रसाद	F	75	MP/28/227/042037	
290	70	कैलाश	पिता अमरसिंग	M	48	MP/28/227/042246	
291	70	रुकमणि	पति कैलाश	F	41	MP/28/227/042109	

डुप्लिकेट सूची

- **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है.

नगरपालिका

- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है.
- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है.

पंचायत

- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही विकासखंड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है.
- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखंडों में दर्ज है.

- डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है.

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(नगरीय निकाय एवं पंचायत में) (कुल मतदाता : 12)

जिला - हरदा

विकासखण्ड क्रमांक - 1 (कुल मतदाता : 6)

सत्यापन मार्किंग (√)

नगरीय / पंचायत	नगरीय निकाय / विकासखण्ड का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम / पंचायत का नाम	क्रम सख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	413	59ख	कृष्णाबाई	पति भगवानदास	F	51	MP/28/227/303034		☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेड़ीपुरा रोड	834	121	किरण	पति शांतीलाल	F	48	MP/28/227/303034		☐	☐
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	410	59ख	भारतलाल	पिता हरीशंकर	M	72	MP/28/227/303193		☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेड़ीपुरा रोड	457	60/1	सुनिल	पिता हरिप्रसाद	M	43	MP/28/227/303193		☐	☐
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	412	59ख	भगवानदास	पिता भारतलाल	M	55	MP/28/227/303228	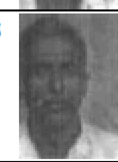	☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	3	1	रामनगर कालोनी	474	156/3	हबीबखां	पिता अमीरखां	M	60	MP/28/227/303228	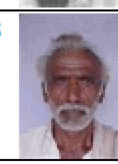	☐	☐

डुप्लिकेट सूची

- डुप्लिकेट मतदाताओं के सम्बंध में प्रकरण विविध मद बी—121 में दर्ज किये जायेंगे.
- भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा की मतदाता सूचियों में गम्भीर त्रुटियों के निराकरण के लिए विशेष जाँच करने के निर्देश दिये है.
- **भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन यदि किसी क्षेत्र में मतदाता सूची की जाँच उपरांत कतिपय मतदाताओं के नाम विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय के अनुसार सम्बंधित नगरपालिका/पंचायत की मतदाता सूची से भी उक्त मतदाताओं के नाम सीधे सीधे विलोपित कर दिये जाये.**

जाँच सूची और डुप्लिकेट सूची के सम्बंध में त्रुटियाँ

- जाँच सूची में सम्मिलित मतदाताओं के गहन स्थल जाँच के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाना.
- प्रारूप मतदाता सूची के साथ जाँच सूची का प्रकाशन नहीं करना.
- डुप्लिकेट सूची में सम्मिलित मतदाताओं के सम्बंध में प्रकरण दर्ज नहीं करना.
- डुप्लिकेट सूची में सम्मिलित मतदाताओं को सूचना पत्र जारी नहीं करना.

दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों को दर्ज करने की पूर्व प्रचलित प्रक्रिया

- प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र एकत्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना.
- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुँचाना.
- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर बारकोड लगाकर स्केन करना. स्केन करने की कार्यवाही ERMS में कलेक्टर के एकाउन्ट से लागिंन कर की जा सकती है.

दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों को दर्ज करने की पूर्व प्रचलित प्रक्रिया

- बारकोड लगाकर स्केन किये गये आवेदन पत्र वेण्डर को सौंपना.
- वेण्डर द्वारा बारकोर्ड युक्त आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री. वेण्डर उन्हीं आवेदन पत्रों की एन्ट्री कर सकता है, जो कलेक्टर के एकाउन्ट से स्केन किये गये हों.
- एन्ट्री के पश्चात् आवेदन पत्र पुनः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुँचाये जाते है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर वाले डोंगल से उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण (स्वीकृत अथवा खारिज) ERMS पर दर्ज करते है.

पूर्व प्रचलित प्रक्रिया की खामियाँ

- वर्ष 2016 एवं 2017 में कतिपय जिलों में ऐसे मामले प्रकाश में आये है, जिनमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के लागिंन/पासवार्ड आई.डी. तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग वेण्डर द्वारा किया गया है.
- कतिपय जिलों में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र सीधे वेण्डर को सौंपने की बात भी सामने आई है.
- कुछ जिलों में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा वेण्डर को दूरभाष पर नोट कराई गई जानकारी के आधार पर ERMS में आवेदन पत्रों की एन्ट्री करने के मामले भी प्रकाश में आये है.
- निर्देशों के विपरीत अनियमित तरीके से की गई उक्त कार्यवाहियों से मतदाता सूची के दूषित होने की सम्भावना बनी है.

संशोधित प्रक्रिया

- नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे.
- प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे.
- क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते है.

संशोधित प्रक्रिया

- प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये.
- प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें.
- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे.
- उप जिला निर्वाचन अधिकरी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे.

संशोधित प्रक्रिया

- "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी.
- आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकतें है और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है.
- एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे.

संशोधित प्रक्रिया

- आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्केन करना होगा. यदि बारकोड स्केनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा.
- ERMS में आवेदन पत्रों की एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न विभागों के डाटा एन्ट्री आपरेटर/लिपिकों की ड्यूटी आवश्यक संख्या में लगा सकते है.
- आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे.

संशोधित प्रक्रिया

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते है.
- इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा. सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते है.
- निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है.

दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया की त्रुटियाँ

- दावे आपत्ति केन्द्रों का नहीं खुलना.
- दावे आपत्ति केन्द्रों पर बैनर नहीं लगना.
- दावे आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी का अनुपस्थित होना.
- प्राधिकृत कर्मचारी का प्रशिक्षण नहीं होना.
- दावे आपत्ति केन्द्रों के पर्यवेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं.
- प्राधिकृत कर्मचारी के पास पुनरीक्षण से सम्बंधित सामग्री नहीं होना.

अंतिम मतदाता सूची

- दावे आपत्ति, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् अनुपूरक सूची तैयार कर दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी.
- ERMS से फोटो रहित और फोटोयुक्त मतदाता सूची जेनरेट की जायेंगी.
- फोटो रहित मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा.
- फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर उसे विहित स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा.

प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्टिंग

नगरपालिका

मतदाता सूची	प्रिन्ट	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	11 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय. 3. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर. 4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति). पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति.
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	11 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय. 2. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर. 3. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति). पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं 4. जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु.

प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्टिंग

पंचायत

मतदाता सूची	प्रिन्ट	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति.
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. 4. सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए.

चुनाव के लिए मतदाता सूची की प्रिन्टिंग

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड). 2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ.	1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड). 2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे.

ऑनलाईन डेशबोर्ड

MP State Election Comm | mpsdc.gov.in/MPSECUrb

mpsdc.gov.in/MPSECUrbanPERWS/Forms/frmDashboard.aspx

Dashboard (Last Updated on 09.05.2018 12:05 AM)

नगरपालिका में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या

2017 में	वर्तमान में	कमी / बढ़ोतरी
18203	18167	-36

जिलावार

नगरपालिकावार

पंचायत में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या

2017 में	वर्तमान में	कमी / बढ़ोतरी
66587	67295	708

जिलावार

जनपद पंचायतवार

नगरपालिका कंट्रोल टेबल वेरिफिकेशन की प्रगति

377/378

जिलावार

नगरपालिकावार

पंचायत कंट्रोल टेबल वेरिफिकेशन की प्रगति

313/313

जिलावार

जनपद पंचायतवार

मतदाता सूची पुनरीक्षण 2018 कार्यक्रम

चरण	समयावधि	कार्य
प्रथम	05.04.2018 से 17.04.2018	मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण, कंट्रोल टेबिल वेरिफिकेशन और अपडेशन.
द्वितीय	20.04.208 से 30.05.2018	विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना.
तृतीय	30.05.2018 से 02.07.2018	दावे आपत्ति की प्राप्ति, निराकरण एवं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन.

महत्वपूर्ण तिथियाँ

कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन	17 अप्रैल 2018
प्रारूप मतदाता सूची का ऑनलाईन प्रकाशन	24 मई 2018
प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन.	30 मई 2018
द्वितीय प्रशिक्षण	24 मई 2018 से 28 मई 2018
दावे आपत्ति प्राप्त करना	30 मई 2018 से 08 जून 2018 तक
फोटोयुक्त मतदाता सूची का ऑनलाईन प्रकाशन.	28 जून 2018
फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन.	02 जुलाई 2018

प्रेक्षक भ्रमण

- दिनांक 23 मई 2018 से 28 मई 2018 तक.
- 02 जिलों का भ्रमण.

आगामी निर्वाचन

नगरपालिका आम निर्वाचन	अनूपपुर, उमरिया, धनपुरी (शहडोल), नरवर (शिवपुरी), भैंसदेही (बैतूल), साँची (रायसेन), चुरहट (सीधी)
नगरपालिका उप निर्वाचन	करनावद (देवास), खिलचीपुर (राजगढ़)
राईट टू रिकॉल	पांडलिया कलाखुर्द (खरगोन), लांजी (बालाघाट), सिरमौर (रीवा)

प्रेक्षक द्वारा पूर्व में सम्पन्न कारवाईयों की समीक्षा हेतु बिन्दु

- मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण.
- कंट्रोल टेबल का अपडेशन और वेरिफ़िकेशन.
- शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधित वेरिफिकेशन सूची पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग और ERMS में एन्ट्री.
- शिफ्टिंग सूची के विवाद के निराकरण के लिये बैठक का आयोजन.
- स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन.

प्रेक्षक द्वारा भ्रमण के दौरान प्रचलित कारवाईयों की समीक्षा हेतु बिन्दु

- प्रारूप मतदाता सूची को जेनरेट करना.
- प्रारूप मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करना.
- प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण और वार्ड/पंचायत में प्रकाशन.
- दावा आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण.
- प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति.

प्रेक्षक द्वारा भ्रमण के दौरान प्रचलित कारवाईयों की समीक्षा हेतु बिन्दु

- प्राधिकृत कर्मचारियों के लिये किट की व्यवस्था.
- पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति.
- प्राधिकृत कर्मचारी और पर्यवेक्षण अधिकारी का द्वितीय प्रशिक्षण.
- प्राधिकृत कर्मचारियों से दावा आपत्ति प्राप्त करने की व्यवस्था.
- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में बारकोड एवं बारकोड स्केनर की व्यवस्था.

प्रेक्षक द्वारा भ्रमण के दौरान प्रचलित कारवाईयों की समीक्षा हेतु बिन्दु

- दावा आपत्ति आवेदन पत्रों पर बारकोड लगाने की व्यवस्था.
- दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की व्यवस्था.
- ERMS में एन्ट्री करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण.
- जाँच सूची और डुप्लीकेट सूची को जेनरेट करना और उनके सम्बंध में प्राथमिक जाँच के बाद सूचना पत्र जारी करना.
- स्टैंडिंग कमेटी की बैठक.

आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली प्रेक्षक रिपोर्ट के बिन्दु

1. कंट्रोल टेबल के अपडेशन और वेरिफिकेशन की कार्यवाही के सम्बंध में टीप.
2. मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में टीप.
3. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मार्किंग की शुद्धता एवं शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के सम्बंध में टीप.
4. प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन के सम्बंध में टीप.
5. स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक के सम्बंध में टीप.
6. प्राधिकृत कर्मचारी/पर्यवेक्षण अधिकारी/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के प्रशिक्षण के सम्बंध में टीप.

आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली प्रेक्षक रिपोर्ट के बिन्दु

7. प्राधिकृत कर्मचारी को किट उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में टीप.
8. दावे आपत्ति केन्द्रों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था के सम्बंध में टीप.
9. प्राधिकृत कर्मचारी से दावे आपत्ति फार्म संकलित करने और उन्हें ERMS में दर्ज करने की व्यवस्था के सम्बंध में टीप.
10. जाँच सूची और डुप्लिकेट सूची के प्रकरणों के निराकरण के सम्बंध में टीप.
11. राजनैतिक दलों को प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में टीप.

आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली प्रेक्षक रिपोर्ट के बिन्दु

12. विशेष जाँच के बाद विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित नामों को हटाने के सम्बंध में की गई कार्यवाही के सम्बंध में टीप.

13. वेण्डर के कार्य के सम्बंध में टीप.

14. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त सुझाव.

15. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में गम्भीर अनियमितता सम्बंधी मामले यदि कोई हों.

16. अन्य कोई बिन्दु जो प्रेक्षक रिपोर्ट करना चाहें.

प्रश्नबैंक

1. क्या कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति CEO/CMO को प्रदाय की गई है.
2. कंट्रोल टेबल और मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में CEO/CMO ने क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
3. क्या कंट्रोल टेबल से अपवर्जित पंचायतों/वार्डों को हटा दिया गया है.
4. क्या कंट्रोल टेबल के वेरिफिकेशन में नगरपालिका के अद्यतन परिसीमन के आधार पर परीक्षण कर लिया गया है.
5. सबसे कम मतदाता वाली पंचायत कौन सी है. उसमें कितने मतदाता है.
6. क्या कंट्रोल टेबल में शून्य अथवा अतिन्यून मतदाता वाली पंचायतों को हटा दिया गया है.

प्रश्नबैंक

7. CEO/CMO के प्रस्ताव अनुसार कितने मतदान केन्द्र कम किये गये है और कितने मतदान केन्द्र बढ़ाये गये है.
8. क्या मतदान केन्द्रों के भवनों में भी परिवर्तन किया गया है.
9. क्या यह परीक्षण कर लिया गया है कि कोई भी पंचायत/वार्ड/पार्ट ऐसा तो नहीं है, जिसके लिए मतदान केन्द्र नहीं बनाया गया हो.
10. क्या यह परीक्षण कर लिया गया है कि कोई ऐसा मतदान केन्द्र तो नहीं है जो 02 या अधिक पंचायत/वार्ड/पार्ट के लिए बना दिया गया हो.
11. पंचायत के लिए 750 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र कितने है. उन्हें युक्तिसंगत करने की क्या कार्ययोजना है.
12. नगरपालिका के लिए 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र कितने है. उन्हें युक्तिसंगत करने की क्या कार्ययोजना है.

प्रश्नबैंक

13. क्या शिफ्टिंग सूची के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, उस विवाद का निराकरण कैसे किया गया.

14. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में ऐसे कितने नाम है, जिन्हें मिलान नहीं होने के कारण नहीं हटाया गया है. क्या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने स्वयं उनका परीक्षण कर लिया है.

15. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में ऐसे कितने नाम है, जिन्हें मिलान नहीं होने के कारण संशोधित नहीं किया गया है. क्या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने स्वयं उनका परीक्षण कर लिया है.

16. कितने दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण किया गया है.

17. क्या दावे आपत्ति केन्द्रों पर लगाने के लिए बैनर बनवा लिये गये है.

प्रश्नबैंक

18. क्या दावे आपत्ति केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त किये गये है. यदि हाँ तो कितने और उनसे रिपोर्ट लेने की क्या व्यवस्था है.
19. प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण कब दिया गया.
20. प्राधिकृत कर्मचारियों से दावे आपत्ति फार्म संकलित करने की क्या व्यवस्था है.
21. संकलित दावे आपत्ति फार्म पर बारकोड लगाने और स्केन करने की क्या व्यवस्था है.
22. क्या बारकोड स्केनर उपलब्ध है.
23. दावे आपत्ति फार्म की ERMS में एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाये गये है.

प्रश्नबैंक

24. क्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को भलिभांति प्रशिक्षित कर दिया गया है.
25. प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त दावे आपत्ति आवेदन पत्रों की जाँच की क्या व्यवस्था है.
26. प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन के सम्बंध में प्रमाणपत्र प्राप्त करने की क्या व्यवस्था है.
27. क्या आगामी चुनाव के लिए आवश्यक संख्या में मतदाता सूचियों को प्रिन्ट कराने के सम्बंध में आकलन कर लिया गया है.
28. नगरपालिका की स्थिति में प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की प्रतियाँ राजनैतिक दलों को प्रदाय करने के सम्बंध में क्या व्यवस्था है.
29. विधानसभा की मतदाता सूची में विशेष जाँच के बाद कितने नाम हटाये गये है. क्या उक्त नामों को नगरपालिका/पंचायत की मतदाता सूची से हटाने की व्यवस्था कर ली गई है.

धन्यवाद